

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ शिक्षा विभाग/ वित्त विभाग/ पथ
निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।

विषय-

पटना, दिनांक 0-7-2018
बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नव पदस्थापित कर्मियों को विरमित करने
के संबंध में ।

प्रसंग:-

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 8752 से 8758 दिनांक
03.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 8752 से 8758, दिनांक 03.07.2018 द्वारा बिहार
सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मियों को कार्यहित में विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में
स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया गया है । अभी तक स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा नव
पदस्थापित विभाग/ कार्यालय में योगदान करने की सूचना अप्राप्त है। अपितु कतिपय कर्मी
एवं विभाग द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों को वहीं बने रहने देने का अनुरोध किया जा रहा है।

अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या- 8752 से 8758, दिनांक 03.07.2018 द्वारा
स्थानान्तरित कर्मियों को नव पदस्थापित विभाग/ कार्यालय में योगदान करने हेतु दिनांक
13.07.2018 तक निश्चित रूप से विरमित करने की कृपा की जाय अन्यथा दिनांक 16.07.2018
से वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद-05-01/2016(खण्डII), सा0प्र0. 9068 / पटना-15, दिनांक 0-7-2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार,
पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/ निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार,
पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद-05-01/2016(खण्डII), सा0प्र0. 9068 / पटना-15, दिनांक 0-7-2018

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।